रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1983/वैशाख 3, 1905
No 67] NEW DELHI SATURDAY, APRIL 23, 1983/VAISAKHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना स० 18-ई०टी०सी० (पी०एन) /83

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1983

विषय :—अपरिष्कृत (बिना कटे हुए और बिना सैट किए हुए) बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्नों के निर्यात पर निषेध लगाना।

मिसिल सं० 41(2)/83-ई०-2.—उपर्युक्त विषय पर 23 अप्रैल, 1983 की भारत के असाधारण राजपत्र के अन्तर्गत प्रकाशित निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश सं० ई(सी) ओ, 1977/ए एम(260) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. अपरिष्कृत (बिना कटे हुए और बिना सैट किए हुए) बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य रत्नों के निर्यात पर तत्काल से ही निषेध लगाने का निश्चय किया गया है ।

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 18-ETC(PN)/83

New Delhi, the 23rd April, 1983

Subject.—Export of Rough (uncut and unset) precious and semi-precious Stones—imposition of ban.

File No. 41(2)/83-EII.—Attention is invited to the Exports Control Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(260) dated the 23rd April, 1983, published in the Gazette of India Extraordinary, on the above subject.

2. It has been decided to ban the export of Rough (uncut and unset) precious and semi-precious stones, with immediate effect.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983